वाद सं. 8/15 विजयसिंह/ अजयसिंह

7—9—2018

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 दिनांकित 9—8—2016 पर बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादिया श्रीमती सुखी देवी का दिनांक 20—5—2016 को निधन हो चुका है जिसके विधिक वारिसान को पूर्व में रिकार्ड पर लिया जा चुका है। उक्त वाद के उनवान में श्रीमती सुखी देवी के नाम के आगे मृतक लिखा जाना आवश्यक है। अतः श्रीमती सुखी देवी के नाम के आगे मृतक अंकित करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने विरोध किया।

सुना गया। प्रतिवादी सुखी देवी की दिनांक 20—5—2016 को मृत्यु होने के संबंध में प्रार्थनापत्र दिनांक 9—8—2016 को प्रस्तुत किया गया है, जो अंदर मियाद है। मृतक सुखुदेवी के वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर है। अब सुखीदेवी के नाम के आगे मृतक अंकित करने हेतु निवेदन किया गया है जो उक्त परिस्थितियों में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादिया सुखीदेवी के नाम के आगे मृतक अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी संशोधित शीर्षक प्रस्तु करें।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद शीर्षक हेतु दिनांक ..... को पेश हो।